संख्याः–127 /उन्तीस(2)/2012–2(12 घोषणा)/2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः ~~02 जनवरी~~ 02 फरवरी, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहरी क्षेत्र के 8 नलकूपों हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 534/उन्तीस(2)/05–2(12घो0) 2004 दिनांक 06–03–2006 के द्वारा ₹ 806.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही ₹169.60 लाख, शासनादेश संख्याः 2783/उन्तीस (2)/06–2 (12घो0) 2004 दिनांक 28–12–2006 के द्वारा ₹ 121.17 लाख, शासनादेश संख्याः 410/उन्तीस (2)/10–2(67पे0) 2008 दिनांक 31–03–2010 के द्वारा ₹ 416.18 लाख इस प्रकार योजना पर अब तक ₹ 706.95 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2824/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/76 दिनांक 23–12–2011 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहरी क्षेत्र के 8 नलकूपों हेतु ₹100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(I) उक्त धनराशि प्रभारी प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी। अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुपालन के कम में न्यूनतम निविदा राशि की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि राजकोष में तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौति.. प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कि..ा जाय।

(III) कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(IV) व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

(V) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(VI) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(VII) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(VIII) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(IX) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

क्रमशः 2

(X) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(XI) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

(XII) आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(XIII) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(XIV) यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(XV) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन कार्य करते समय कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(XVI) कार्य को 31 मार्च 2012 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय तथा संचालन हेतु जल संस्थान को हस्तान्तरण कर दिया जाय।

2– **उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल –101– नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा ।**

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 37/XXVII(2)/2012, दिनांक: 27 जनवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या:–127 (1)/उन्तीस(2)/2012–2(12 षणा)/2004 तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमायू।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली),
उप सचिव।